UPBJ010068752026

न्यायालय VI-Addl. District Judge/Regular, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Km. Alka Chaudhary), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP01788**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2785/2026

नरदेव बनाम सरकार

आदेश

1. यह **द्वितीय** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **नरदेव** की ओर से मु0अ0सं0 **200/2026,** अन्तर्गत धारा– **61(2), 318(4), 319 बी0एन0एस0 व 3(1), 3(2), 3(3), 4, 5(1)ए, 6ए, 18, 23, 29 पी0सी0पी0एन0सी0टी0 एक्ट व 34(2) एन0एम0सी0 एक्ट** थाना **नूरपुर,** जिला **बिजनौर** में मय शपथ पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद मे गलत तौर से नफा नाजायज कमाने व रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2026 को नोट प्रेस करा लिया गया था जिस बाबत अब द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। न्यायहित मे उक्त द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सुना जाना आवश्यक है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही है और एफ0आई0आर0 मे जो तथाकथित घटना दिखायी गयी है, प्रार्थी का उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा ना किसी दलाल से सम्पर्क किया गया है और ना ही किसी से कोई लेनदेन हुआ है। प्रार्थी के द्वारा कोई लिंग परीक्षण नहीं किया गया है। प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। जिस मकान की यह घटना दिखायी गयी है, उक्त मकान को प्रार्थी ने मनोज कुमार को दिनांक 05.04.2026 से 2500/–रूपये प्रतिमाह किराये पर 11 माह के लिए रहने के लिए दिया था। प्रार्थी को कथित घटना की कोई जानकारी नही है और ना ही प्रार्थी की कोई संलिप्तता है। प्रार्थी का उक्त मकान कस्बा नूरपुर मे स्थित है और प्रार्थी ग्राम पीपला जागीर मे रहता है। प्रार्थी से कोई भी किसी प्रकार की बरामदगी नही हुई है। कथित घटना की रिपोर्ट देरी से लिखायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नही दर्शाया गया है। प्रार्थी को थाना हाजा पुलिस ने केवल पूछताछ के लिए बुलाया था, बाद मे मुकदमे मे प्रार्थी को नामजद कर दिया। उपरोक्त परिसिथतियो मे माननीय न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि अदालत/पुलिस द्वारा प्रार्थी की गिरफतारी की स्थिति मे प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की जानी आवश्यक है। प्रार्थी किसी भी तरह से सबूतो व गवाहो से छेड़छाड़ ना करने का वचन देता है। प्रार्थी माननीय न्यायालय को यह विश्वास दिलाता है कि वह प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यो से परिचित किसी भी व्यक्ति से अभद्रता, धमकी या वायदा नही करेगा ताकि उन्हे ऐसे तथ्यो को अभद्रता माननीय न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने

Digitally signed by ALKA CHAUDHARY
Date: 2026.08.13 16:09:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से मना किया जा सके। प्रार्थी किसी भी अन्य शर्तो को स्वीकार करने को तैयार व इच्छुक है जैसा कि मामले के संबध मे माननीय न्यायालय द्वारा लगाया जा सकते है। प्रार्थी को यदि अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है तो प्रार्थी भारत देश की सीमाओ से बाहर नही जायेगी और जमानत का कोई दुरूपयोग नही करेगा। प्रार्थी अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है।
अतः वाद उपरोक्त में प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार FIR दर्ज करने बारे शिकायत सिविल सर्जन गुरुग्राम को गुप्त सुचनाए मिल रही थी की जिला गुरुग्राम से कई महिलाये अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करवाने के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश जाती हैं और एक रेनू नाम की महिला गर्भवती महिलाओ के गर्भ की लिंग जांच करवाने में मदद करती है जिसकी एवज में दलाल रेनू 25,000/– से 40,000/–रुपए तक वसूलती है और गर्भ में लड़की पता चलने पर गर्भपात भी करवा देती है। जिसके बाद जिला समुचित प्राधिकरण पी.एन.डी.टी. गुरुग्राम ने पत्र क्रमांक PNDT/2026/1573–74 दिनांक 3–6–2026 द्वारा ड0 देवेंदर सिंह सोलंकी, नोडल ऑफिसर PC PNDT गुरुग्राम, ड0 हरीश कुमार मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम को जांच के लिए अधिकृत किया जिसके बाद टीम गुरुग्राम ने नकली ग्राहक के तोर पर गर्भवती महिला श्रीमति रीमा पत्नी श्री आकाश निवासी इंदा नगर, नजदीक वाई. एम. सी. ए चौक, फरीदाबाद को तैयार किया और अपने साथ ले जाने का मकसद बताया और रीमा की बात रेनू से उसके फोन न. 8800386734 पर लिंग जांच करवाने की लिए करवाई, दलाल रेनू ने गर्भ के बारे में कुछ पूछताछ करने के बाद लिंग जांच का सोदा 25,000/– में तय कर लिया और रीमा से 5000/– ऑनलाइन करने व 20,000/– नगद लेकर आने के लिए कहा, जिसके बाद टीम ने सरकारी खाते से 40,000/– रुपये निकाल कर उनके नंबर नोट किये। दलाल रेनू के कहे अनुसार टीम ने UPIID:8800386734@ptyes पर ऑनलाइन 5,000/– ट्रान्सफर किये, जिसके बाद दलाल रेनू ने रीमा को 4–6–2026 को सुबह 6 बजे पंजाबी बा मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली आकर मिलने के लिए कहा और नूरपुर बिजनोर उत्तर प्रदेश में लिंग जांच करवाने के लिए ले जाने की बात करी। दिनांक 4–6–2026 को टीम गुरुग्राम नकली ग्राहक श्रीमती रीमा को अपने साथ लेकर सुबह 6 बजे पंजाबी बा मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली और रीमा को मेट्रो स्टेशन पर जाकर रेनू से बात करने की लिये कहा और रीमा को 20,000/– नकद नम्बरी नोट दिए, रीमा ने रेनू को बोन कर अपने आने की सुचना दी तो लगभग समय 8 बजे दलाल रेनू नकली ग्राहक रीमा की पास आई और 20,000/–लिंग जांच की लेने के बाद रीमा को एक कार में बैठाकर बाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए नूरपुर बिजनोर उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास आकार रुकी और बैंक में जाकर 19,000/–रुपये Txn न. 4086 दिनाक 4–6–2026 द्वारा जमा करके उसकी स्लिप ली, टीम गुरुग्राम लगातार रेनू का पीछा कर रही थी इसी दोरान टीम गुरुग्राम ने स्थानीय प्रशाशन को अपने आने की सुचना दी और टीम भेजने के लिए कहा जिसके कुछ देर में ही डा. राजेंदर प्रशाद विश्वकर्मा नोडल अधिकार पी. एन. डी. टी. बिजनोर, श्री अजब सिंह राणा नायब तहसीलदार चांदपुर व विनोद कुमार क्लर्क टीम गुरुग्राम से आकर मिले और सारी कारवाही साँझ करी, दलाल रेनू ने अपने फोन से सोनू नाम के व्यक्ति (जिसको रेनू अपना जीजा बता रही थी) को उसके फोन न. 9411843366 पर कॉल करी और रीमा के लिंग जांच करने की बात की, जिसके कुछ देर बाद एक सेद रंग की टाटा कार न. UK06W9237 स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास आकार रुकी और रीमा व रेनू को वही पास स्थित एक मकान में साथ गये टाटा कार में से उस व्यक्ति

(जिसका नाम बाद में मनोज कुमार पुत्र राजपाल सिंह मालूम पड़ा) पिट्ठ बैग लेकर उतरा और रीमा व रेनू को अपने साथ उस मकान की अन्दर लेकर गया। वही मनोज ने रीमा का एक कमरे में लेकर अपने साथ लाई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की मशीन द्वारा लिंग जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया, घर के बाहर आकर रीमा ने टीम को आने का इशारा किया इशारा पाकर टीम रीमा के पास आ गई और मकान के अंदर गई रीमा ने महिला दलाल रेनू को पहचान कर बताया की इस महिला ने उसका अल्ट्रासाउंड लिंग जांच के लिए करवाया है और अल्ट्रासाउंड करने वाले व्यक्ति को पहचान कर बताया की इसने अल्ट्रासाउंड करके गर्भ में लड़का बताया है पूछताछ में पता चला की मनोज कुमार जिसने रीमा का लिंग जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया है उसके पास अल्ट्रासाउंड करने की कोई योग्यता नहीं है वह केवल 12वीं कक्षा तक पढा है और जिस मकान में यह अवैध लिंग जांच का कार्य किया जा रहा था उसका नाम नरदेव पुत्र राजबीर सिंह निवाशी चांदपुर रोड नूरपुर बिजनोर फोन न. 7902044816 मालूम हुआ है और यह मकान पी.एन.डी. टी. एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही मनोज कुमार व बरामद अल्ट्रासाउंड की मशीन पी.एन.डी. टी. एक्ट में रजिस्टर्ड है। टीम द्वारा रेनू से लिंग जांच के लिए गये रुपए वापस मांगे तो श्रीमती रेनू ने बताया की उसने 1,000/–रुपये UPIID:615431323340 से दिनाक 3–6–2026 को व 11,000/– UPIID: 307381008359 से दिनाक 4–6–2026 को उदयवीर सिंह के नाम को मनोज के कहने पर ट्रान्सफर किये है और 1,000/– रुपये नकद टीम के हवाले किये बरामद नकद रुपयों के नंबर 3DL669626, 9WR577112 मिलाने पर यह वही नोट थे जो टीम द्वारा रीमा को दिए थे जिन्हें एक लिफाफे में डाल कर सील किया गया, दलाल रेनू ने बताया की बाकी के 12,000/– रुपये रेनू ने अपने खाते में जमा करना बताया है। बरामद अल्ट्रासाउंड मशीन मेक LOGIQ e GE मेडिकल सिस्टम्स, स.न. 125409WX3, एक प्रोव, चार्जिंग अडेप्टर, एक जैल की बोतल, काले रंग के पिटू बैग में डाल कर कपडे में लपेट कर सर्व मोहर DAA GGM 5 सील मोहर द्वारा सील करके, स्थानीय पुलिस को सुचना देकर मोके पर बुलाया और बरामद सामान, श्रीमती रेनू, मनोज कुमार, नरदेव को हवाले किया। मोके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई जिनमे से दो लोगो को स्वतंत्र गवाह बनने के लिय बुलाया गया परन्तु कोई भी गवाह बनने के लिय तैयार नहीं हुआ और बिना नाम व पता बताये वहां से चले गये। अतः श्रीमान जी श्रीमती रेनू, मनोज कुमार, नरदेव व इनके गिरोह मे शामिल अन्य लोगो के खिलाफ धारा 61(2), 318(4), 319 BNS 2023, U/s 3(1),3(2),3(3),4,5(1)(e),6,18,23,29 PCPNCT Act 1994, U/s 34(2) NMC Act के तहत मुकदमा दर्ज किया जाये और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये।

3. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। उक्त आधार पर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. उक्त प्रकरण में संबंधित थाना नूरपुर, जिला बिजनौर से रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें संबंधित थाना द्वारा यह आख्या प्रेषित की गई कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लिंग परीक्षण किया गया है। अभियुक्त को घटना कारित करते हुए मौके से टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

5. सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, संलग्न प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए अपनी पहचान छिपाकर लिंग परीक्षण करने तथा लिंग परीक्षण करने के एवज में रूपये लेने का आरोप है। मामले के अभियुक्तगण के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मशीन व अन्य सामग्री बरामद होना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त द्वारा संज्ञेय व गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त **नरदेव** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र **खारिज** किया जाता है।

13.08.2026

(अलका चौधरी)
(J.O. Code-UP1788)
अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर अधि0
कोर्ट नं0–6, बिजनौर।